संख्या: 2053/77-6-15-5(बजट)/13टी0सी0

प्रेषक,

कंचन वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2015

विषयः औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में मेगा इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने हेतु पिकप द्वारा संचालित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में रूपये 70.00 एवं 50.00 करोड़ (रुपये एक अरब बीस करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था की गई है। इसके सापेक्ष उपरोक्त योजना में से उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि. बाराबंकी कताई मिल को वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्यशील पूंजी हेतु रु. 4.95 करोड़ के ऋण की स्वीकृति एवं उ0प्र0 वित्तीय निगम को धनराशि रु. 65,05,00,000.00 (रु. पैंसठ करोड़ पांच लाख) की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 07-11-2014 को जारी की जा चुकी है। अवशेष धनराशि 50.00 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1- स्वीकृत धनराशि का लेखा जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।

2- यह धनराशि उन पात्र मेगा इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2003 (यथा संशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।

3- यह धनराशि ऐसी पात्र नई मेगा इकाइयों, जिनके प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदनों के यथाक्रम में वरीयतानुसार समस्त आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

4- पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व पिकप पर होगा। पिकप द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 (यथा संशोधित) में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।

5- ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।

6- यदि पिकप द्वारा किसी किश्त के भुगतान में डिफाल्ट किया जाता है तो पिकप द्वारा शासन को 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज की दर से विलम्ब की अवधि मे ब्याज का भुगतान किया जाना होगा।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण एक माह की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आकलन संयुक्त निदेशक उद्योग, लखनऊ द्वारा किया जाएगा। पिकप को उपलब्ध कराए गए ऋण के सापेक्ष

http://shasanadesh.up.nic.in

पिकप द्वारा ऋण वितरण का अनुश्रवण भी संयुक्त निदेशक उद्योग, लखनऊ द्वारा किया जाएगा तथा धनराशि के सदुपयोग के संबंध में संतुष्ट होने के उपरान्त ही अगली किश्त का आहरण किया जाएगा।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशांे का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9- उक्त धनराशि को आहरित करके पिकप को उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, पिकप द्वारा हस्ताक्षरित कर संयुक्त निदेशक उद्योग, लखनऊ के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा। पिकप द्वारा ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से स्थिति स्पष्ट कर लेंगे। वितरित धनराशि के सापेक्ष इकाइयों द्वारा ऋण का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-2017 से प्रारम्भ होगा।

10 उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में उद्योग विभाग की अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 6885-उद्योग तथा खनिज के लिए अन्य कर्ज-01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-06-औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-30-निवेश/ऋण के नाम डाला जाएगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-बी-4- 4/दस-2015 में दिनांक 04.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्याः 2053(1)/77-6-14-5(बजट)/13टी0सी0, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।
2- कोषाधिकारी, लखनऊ।
3- प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-इन्स-आई0आई0पी0एस0/10/07-08/वॉल्यूम-2/2448 दिनांक 18-12-2014 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभा-6
8- नियोजन अनुभाग-1/4
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasan desh.up.nic.in